फर्द अहकाम
(नियम 15)
अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
[illegible] भगवानजी जाति बंजारा, नि शिवनगर [illegible] तह सोजत		सांकी पत्नी भगवानजी, जाति बंजारा, नि शिवनगर [illegible] तह सोजत

किस्म मुकदमा :– राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 .आर.टी.एक्ट 1955, मु.नं.: 75/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
26/10/20	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 07-01-21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	622 28/10/20
2.11.2020	प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उप० अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली तलब करने के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा के क्रम में इस प्रकार जरिये राजीनामा उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये विड्रॉवल आदेश किये जाने की इजाजत दी जावे। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 R.T.Act के जरिये विड्रॉवल करने किये जाने की इजाजत पर आदेश किया जाता है। पत्रावली कायदा अनुसार रजिस्टर नम्बर से कायम की जाकर वकील पक्षकार वापिस दफ्तर। लोक अदालत समाप्त की। उप खण्ड अधिकारी सोजत	वरदान/म Adv

Scanned with CamScanner